THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). The required information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

**Failure of Haryana Government to set up District Harijan Welfare Advisory Committees**

8210. SHRI B. S. BHAURA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Haryana Government have failed to set up district Harijan Welfare Advisory Committees which were to recommend loans and subsidies for various Harijan Welfare Schemes; if so, the facts thereof;

(b) whether the fund earmarked for those schemes might lapse due to this reason; and

(c) the action taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). According to information available with Government, District Harijan Welfare Advisory Committees have been constituted by the Government of Haryana and funds have also been sanctioned by the State Government on the basis of the recommendations of such Committees.

**उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के सुन्दरपुर गांव में हरिजनों के मकानों का जलाया जाना**

8211. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 में उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के सुन्दरपुर गांव में हरिजनों के पांच गांव इसलिए जला दिये गये थे कि उन्होंने बेगार करने से इंकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) और (ख) . जिला शाहजहांपुर के गांव सुन्दरपुर मे नवम्बर, 1974 में ऐसी कोई घटना ध्यान में नही आई । किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 30 अक्तूबर, 1974 को कुछ स्वर्ण हिन्दुओं ने उक्त गांव के एक निवासी श्री मैका तेली की तथाकथित पिटाई उनका कृषि कार्य करने से इंकार करने पर की थी । यह भी आरोप लगाया गया था कि स्वर्ण हिन्दुओं और उनके कुछ समर्थको ने मैका तेली के घर छापा मारा और उसकी झोपड़ी को आग लगादी जिसके परिणामस्वरूप 5 मकान आंशिक रूप से जल गये थे । कोई व्यक्ति घायल नही हुआ । पुलिस के सर्कल आफिसर और तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंचे । तहसीलदार ने पीड़ितों को तुरन्त राहत के रूप में 340.00 रुपये बांटे थे । भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/323/352/306/504/436 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और दो अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए गांव में पुलिस का एक सब—इन्स्पैक्टर और सशस्त्र कांस्टेबल नियुक्त किये गये थे ।